पंचदश बिहार विधान सभा

दशम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-01.08.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स०	"मोतिहारी स्थित जानपुल चौक से स्टेशन जाने वाली सड़क को लोग 1988 से ही जननायक कर्पूरी ठाकुर रोड के नाम से जानते हैं । यह बात लोगों के दिल एवं दिमाग में तभी से बैठी हुई है । राज्य के तत्कालीन मंत्री, श्रीमती रमा देवी ने जब दिनांक-05.03.2003 को जानपुल चौक पर जननायक की मूर्त्ति का अनावरण किया तो इसकी सरकारी संपुष्टि भी हो गई । लेकिन आश्चर्य है कि इतने लंबे अंतराल के बाद नगर परिषद, मोतिहारी द्वारा उक्त सड़क का नामकरण दिनांक-12.07.2012 को एक ऐसे व्यक्ति के नाम से कर दिया गया जो चिमनी चालक तथा कोयला व्यवसायी थे । उनकी न तो कभी राजनीतिक गतिविधि रही और न ही सामाजिक कार्यकलाप । उक्त निर्णय से जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महान विभूति का खुल्लम-खुला अपमान हुआ है, जिसके संबंध में ध्यानकर्षणकर्त्ता सदस्य द्वारा नेता विरोधी दल की हैसियत से पत्रांक-118 का०/13, दिनांक-19.02.2013 द्वारा प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय को पत्र लिखा गया था । अत: उक्त वर्णित सड़क का नामकरण जननायक के नाम पर पूर्ववत करने एवं नामकरण बदलने वाले दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने की ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	नगर विकास एवं आवास

1	2	3	4
2.	श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स०वि०स० श्री गिरिधारी यादव, स०वि०स० श्री सतीश कुमार, स०वि०स० श्री वैद्यनाथ सहनी, स०वि०स०	"माननीय लोकायुक्त, बिहार द्वारा केस नं०-1/लोक कल्याण 147/2009 में दिनांक-29.04.2010 को पारित आदेश में तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दानापुर श्रीमती रश्मि सिंह के द्वारा उच्च पदाधिकारियों के विरूद्ध फर्जी कागजात तैयार करने संबंधी तथ्य अंकित है । माननीय लोकायुक्त ने उक्त आदेश की प्रति समाज कल्याण विभाग एवं जिला पदाधिकारी, पटना को उपलब्ध कराते हुए दोषी लोगों के विरूद्ध कार्रवाई करने का आदेश दिया है । अतः फर्जी कागजात तैयार करने संबंधी आरोप के लिए दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई तथा माननीय लोकायुक्त के आदेश के बावजूद दोषी पदाधिकारी को बचाने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध जांच एवं कड़ी कार्रवाई हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	समाज कल्याण

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-33/13- 1258 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 अगस्त, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-33/13- 1258 / वि०स०, पटना, दिनांक- 01 अगस्त, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।